**भारत सरकार**

**कृषि मंत्रालय**

**कृषि एवं सहकारिता विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 170**

**6 दिसम्‍बर, 2013 को उत्‍तरार्थ**

**विषय: किसानों द्वारा आत्‍महत्‍या।**

**170. श्री थावर चन्‍द गहलोत :**

**क्‍या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्‍या यह सच है कि देश में गरीबी और भुखमरी के कारण किसानों द्वारा आत्‍महत्‍या की जा रही है;

(ख) देश में किसानों द्वारा आत्‍महत्‍या किये जाने की घटनाओं का ब्‍यौरा क्‍या है; और

(ग) किसानों की आत्‍महत्‍या रोकने के लिए सरकार क्‍या ठोस कदम उठा रही है ?

**उत्‍तर**

**कृषि एवं खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री तारिक अनवर)**

1. **एवं (ख)** राष्‍ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्‍यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार वर्ष 2012 के दौरान भारत में आत्‍महत्‍या करने वालों की कुल संख्‍या 1,35,445 थी जिसमें 13,754 (10.15 प्रतिशत) व्‍यक्‍ति फार्मिंग/कृषि व्‍यवसाय से थे। एनसीआरबी के अनुसार आत्‍महत्‍या के कारणों में शामिल हैं: पारिवारिक समस्‍याएं, बीमारी, नशे की लत/व्‍यसन, बेरोजगारी, संपत्‍ति संबंधी विवाद, दिवालियापन अथवा आर्थिक स्‍थिति में अचानक परिवर्तन, निर्धनता, व्‍यावसायिक/जीविका संबंधी समस्‍या, प्रेम प्रसंग, बांझपन/नपुंसकता, शादी न होना/शादी टूटना, दहेज विवाद, सामाजिक प्रतिष्‍ठा में गिरावट, अज्ञात कारण आदि।

**(ग)** भारत सरकार ने किसानों द्वारा सामना की जा रही समस्‍याओं को कम करने के लिए कई पैकेजों की घोषणा की है जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं महाराष्‍ट्र में 31 आत्‍महत्‍या संभावित जिलों को कवर करते हुए 19,998.85 करोड़ रुपये का पुनर्वास पैकेज, केरल में कुट्टानाड नमभूमि पारिस्‍थितिकी के विकास हेतु 1840.75 करोड़ रुपये का पैकेज, केरल के इडुक्‍की जिले में कृषि विपदा का शमन करने के लिए 764.45 करोड़ रुपये का पैकेज, सूखा शमन के लिए 7266 करोड़ रुपये का बुंदेलखंड विशेष पैकेज तथा वर्ष 2012-13 से वर्ष 2016-17 तक 3250 करोड़ रुपये के कुल आवंटन से विदर्भ गहन सिंचाई विकास कार्यक्रम (वीआईआईडीपी) शामिल है।

सरकार ने कृषि क्षेत्र को पुन: सक्रिय करने और और निवेश बढ़ाकर फार्म पद्धतियों, ग्रामीण अवसंरचना व ऋण वितरण, प्रौद्योगिकी व अन्‍य आदानों, विस्‍तार, विपणन आदि में सुधार करके सतत् आधार पर कृषक समुदाय की स्‍थिति में सुधार करने के लिए भी कई अन्‍य कदम उठाए हैं। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए विकेन्‍द्रित ढंग से विभिन्‍न कार्यक्रम/स्‍कीमें कार्यान्‍वित की जा रही हैं जिनमें राज्‍य सरकारों को अपनी विशिष्‍ट आवश्‍यकताओं के अनुकूल उपयुक्‍त परियोजनाएं तैयार करने व कार्यान्‍वित करने का लचीलापन प्रदान किया गया है। सरकार द्वारा ध्‍यान दिए जाने वाले मुख्‍य केन्‍द्र फार्म आय का विस्‍तार, गैर-फार्म आय अवसरों का सृजन, वर्षा सिंचित कृषि की उत्‍पादकता में सुधार, संरक्षित सिंचाई के अंतर्गत कृषि क्षेत्रों की कवरेज में वृद्धि करना एवं उपर्युक्‍त पश्‍च एवं अग्र (समग्र) सम्‍पर्क का सुदृढ़ीकरण है। किसानों के लाभ के लिए सरकार द्वारा किए गए अन्‍य उपायों में कृषि जिन्‍सों के न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यों में वृद्धि, कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह में वृद्धि करना, ऋण माफी/राहत, फसल ऋणों पर ब्‍याज छूट, लघु आवधिक ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना को सुदृढ़ बनाने हेतु पुनरुद्धार पैकेज शामिल है।

xxxxxxx